रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2003/अग्रहायण 7, 1925
No. 574] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2003/AGRAHAYANA 7, 1925

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003

सं. 16/2003

सा.का.नि. 906(अ).—जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. श्रीवास्तव को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 के आदेश फाइल सं. ए-15014/1/2003-सी ए के तहत समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है;

और जबकि माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. श्रीवास्तव ने 21 नवम्बर, 2003 के अपराह्न में उक्त अधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है;

अब, इसलिए, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (1985 का 61) की धारा 68ढ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. श्रीवास्तव की उक्त अधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ए-15014/1/2003-स.प्रा.]

एन. एम. कृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2003

No. 16/2003

G.S.R. 906(E).—Whereas Hon'ble Mr. Justice A.K. Srivastava, a retired Judge of the High Court of Delhi has been appointed as Chairman of Appellate Tribunal for Forfeited Property vide order F. No. A-15014/1/2003-CA dated 18th November, 2003;

And whereas Hon'ble Mr. Justice A.K. Srivastava assumed charge of the office of the Chairman of the said Tribunal on the afternoon of the 21st day of November, 2003;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (61 of 1985), the Central Government hereby notifies the appointment of the Hon'ble Mr. Justice A.K. Srivastava, as Chairman of the aforesaid Tribunal.

[F.No.A-15014/1/2003-CA]

N.M. KRISHNAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003

सं. 17/2003

सा.का.नि. 907(अ).—केन्द्र सरकार, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियमावली, 1978, के नियम 11 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहृण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. श्रीवास्तव को, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है। वह पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. ए-15014/1/2003-स.प्रा.]

एन. एम. कृष्णन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2003

No. 17/2003

G.S.R. 907(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Smugglers and

Foreign Exchange manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, (13 of 1976), read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 11 of the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, the Central Government hereby appoints Hon'ble Mr. Justice A. K. Srivastava, a retired Judge of the High Court of Delhi as the Chairman of Appellate Tribunal for Forfeited Property. He shall hold office for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office.

[F. No. A-15014/1/2003-CA]

N. M. KRISHNAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003

सं. 18/2003

सा.का.नि. 908(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68ढ की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ.169(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "माननीय (श्री) न्यायमूर्ति जे. ईश्वरा प्रसाद (कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "न्यायमूर्ति श्री ए. के. श्रीवास्तव, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. ए-15014/1/2003-स.प्रा.]

एन. एम. कृष्णन, उप सचिव

टिप्पणी :—दिनांक 29-5-89 की मुख्य अधिसूचना सं. का.आ. 385(अ) तदनन्तर दिनांक 2-7-90 की अधिसूचना सं. का.आ. 536(अ), दिनांक 28-6-93 के सं. का.आ. 417(अ) और दिनांक 21-3-97 के सं. सा.का.नि. 169(अ) द्वारा संशोधित।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2003

No. 18/2003

G.S.R. 908(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) S.O. No. 169 (E), dated 21st March, 1997, namely :—

In the said notification, for the words and brackets, "Hon'ble (Mr.) Justice J. Eswara Prasad (retired Judge of the Karnataka High Court)", the words "Mr. Justice A. K. Srivastava, retired Judge of the High Court of Delhi" shall be substituted.

[F. No. A-15014/1/2003-CA]

N. M. KRISHNAN, Dy. Secy.

Note :—Principal notification S.O. No. 385(E) dated 29-5-89 subsequently amended by notifications Nos. S.O. 536(E) dated 2-7-90. S.O. 417(E) dated 28-6-93 and G.S.R. 169 (E) dated 21-3-97.

अधिसूचना

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003

सं. 19/2003

सा.का.नि. 909(अ).—तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राजस्व विभाग और बैंकिंग की दिनांक 21 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 170(अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:

कथित अधिसूचना में, "माननीय (श्री) न्यायमूर्ति जे. ईश्वरा प्रसाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "न्यायमूर्ति श्री ए. के. श्रीवास्तव, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. ए-15014/1/2003-स.प्रा.]

एन. एम. कृष्णन, उप सचिव

टिप्पणी :—दिनांक 3-1-96 की मुख्य अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3(अ) को बाद में दिनांक 18-11-1986 की सं. सा.का.नि. 1214(अ), दिनांक 26-4-1990 की सं. सा.का.नि. 351(अ), दिनांक 17-5-93 की सं. सा.का.नि. 419(अ) और दिनांक 21-3-97 की सं. सा.का.नि. 170(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2003

No. 19/2003

G.S.R. 909(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification on the Department of Revenue and Banking, bearing number G.S.R. 170 (E) dated the 21st March, 1997, namely:—

In the said Notification, for the words and brackets "Hon'ble (Mr.) Justice J. Eswara Prasad, retired Judge of the Karnataka High Court" the words "Hon'ble Mr. Justice A.K. Srivastava, retired Judge of the High Court of Delhi" shall be substituted.

[F. No. A-15014/1/2003-CA]

N. M. KRISHNAN, Dy. Secy.

Note :— Principal notification G.S.R. No. 3(E) dated 3-1-1996 subsequently amended by G.S.R. No. 1214(E) dated 18-11-1986, G.S.R. No. 351 (E) dated 26-4-1990, G.S.R. No. 419 (E) dated 17-5-1993 and G.S.R. No. 170 (E) dated 21-3-1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.